सिद्धार्थनगर पुलिस

<u>प्रेस नोट दिनांक 23.05.2025 जनपद सिद्धार्थनगर</u>

◆सिद्धार्थनगर एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ आदि स्थानों पर मनचलों एवं शोहदों की चेकिंग की गयी।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में मनचलों एवं रोमियो के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 23.05.2025 को प्रभारी एण्टी रोमियो स्कवाड टीम /शक्ति मोबाइल द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत एण्टी रोमियो कार्यवाही के तहत थाना क्षेत्र कपिलवस्तु के कपिलवस्तु पार्क ,अलीगढ़वा, वर्डपुर, सीकरी बाजार, चौक व स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा थाना क्षेत्र के आस-पास के मुख्य सड़को, चौराहों पर चेकिंग की गयी तथा महिला दुकानदारों से नियमित आए दिन चौराहों बाजारों आदि में अनावश्यक घूमने वाले शोहदों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, चेकिंग के दौरान कोई अप्रिय बात नहीं रही।

संशोधित प्रेस विज्ञप्ति

दिनाँक- 23.05.2025

परिक्षेत्रीय कार्यालय जनपद बस्ती ।

◆मण्डलायुक्त व डीआईजी बस्ती द्वारा अधिकारीगण के साथ नेपाल बार्डर बढनी व खुनुवा का किया गया भ्रमण।

◆बढनी एसएसबी कैंप में अधिकारियों के साथ की गयी गोष्ठी।

◆ संबंधित को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश।

आज दिनांक 23.05.2025 को श्री अखिलेश कुमार सिंह मण्डलायुक्त बस्ती व श्री दिनेश कुमार पी. पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती द्वारा डा0 राजा गणपति आर0 जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर, डा0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर, कमाण्डेंट एसएसबी श्री उज्जवल दत्ता,आईबी, कस्टम व पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ एसएसबी कैम्प बढ़नी में भारत - नेपाल सीमा पर अवैध अतिक्रमण, मानव तस्करी, संदिग्ध व्यक्तियों, नशीली दवाओं/अवैध शराब आदि की तस्करी व सीमा पर संदिग्ध गतिविधियों की रोकथाम हेतु गोष्ठी किया गया तथा बढनी व खुनवा अंतर्राष्ट्रीय बार्डर का भ्रमण किया गया।

मण्डलायुक्त व डीआईजी बस्ती द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये -

(1)- अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किमी के अन्दर अवैध अतिक्रमण व्यक्तियों का डाटा तैयार कर अवैध अतिक्रमण /निर्माण को हटवाने / ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नियमानुसार की जाये।

(2)- नव धनाढ्य व्यक्तियों के बारे में पूर्ण जानकारी की जाये जैसे उनके द्वारा क्या व्यापार किया जा रहा है ,उनके आय का स्रोत क्या है आदि।

(3)- भारत- नेपाल सीमा पर आवासित ऐसे व्यक्ति जिनके पास दोहरी नागरिकता है, के संबंध में विस्तृत जानकारी कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

(4)- घर ,दुकान, मकान आदि जितने नव निर्माण कार्य बार्डर पर किया जा रहा है / करना है , उक्त के संबंध में जांच कर यह सुनिश्चित कर ले कि निर्माण वैध है या अवैध। नव निर्माण हेतु संबंधित द्वारा अनुमति लेने /संज्ञानित करने की व्यवस्था किया जाये। अवैध निर्माण किसी भी दशा में न होने दिया जाये।

(5)- अनाज, खाद, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की शिकायतें निरंतर प्राप्त होती रहती है। एसएसबी, कस्टम ,पुलिस द्वारा संयुक्त रुप से अभियान चलाकर चेकिंग किया जाये। तस्करों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर प्रभावी अंकुश लगाया जाये।

(6)- शासन की मंशा के अनुरूप "आपरेशन कवच" के तहत भारत- नेपाल सीमा के 15 किमी0 के अन्दर गठित "ग्राम सुरक्षा समिति का पुनर्गठन कर उसमें पुलिस, राजस्व, आर्मी आदि विभागों के सेवानिवृत्त व्यक्तियो को भी रखा जाये।

(7)- विगत 15 वर्षों में मादक पदार्थ, शराब, कस्टम ,गो तस्करी, FICN(FAKE INDIAN CURRENCY NOTE), सोना/चांदी तस्करी आदि से संबंधित समस्त मुकदमों के अभियुक्तों की सूची तैयार कर सत्यापन किया जाये तथा सक्रिय अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाये। वर्तमान समय में अभियुक्तो की स्थिति क्या है, आय का स्रोत क्या है , कितने अभ्यस्त अपराधी है, कितने खाद के लाइसेंस निरस्त किये गये की जानकारी की जाये तथा उक्त कार्य हेतु क्षेत्राधिकारी व उप जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

(8)- नेपाल से भारत आने वाले सभी वाहनों की सघन चेकिंग किया जाये, बिना वैध कागजात के प्रवेश न दिया जाये।

(9)- नाकाबंदी हेतु चिन्हित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाये जिसका बैकप कम से कम 01 माह का हो जिससे जरुरत पड़ने पर उसका सदुपयोग किया जा सके। जिसका डिस्प्ले थाना और चौकी में हो।

(10)- बार्डर एरिया में स्थापित पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरें, बैठने की व्यवस्था आदि के साथ आधुनिकीकरण किया जाये।

(11)- अवैध अतिक्रमण को लेकर उ0प्र0 शासन व भारत सरकार बहुत गंभीर है उस संबंध में जारी निर्देशों का पालन कराया जाये व लोगों को प्रोत्साहित कर अवैध अतिक्रमण हटवाया जाये

(12)- अगले वर्ष ग्राम पंचायत के चुनाव के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरती जाये।

(13)- एलआईयू अपने सूचना तंत्र को मजबूत करें , सूचनाओं का संकलन कर उच्चाधिकारीगण को समय समय पर अवगत कराते रहें।

इस दौरान प्रशांत कुमार अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर, मयंक द्विवेदी क्षेत्राधिकारी सदर, सुजीत राय क्षेत्राधिकारी शोहतरतगढ़, निरीक्षक अभिसूचना इकाई ,प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, कस्टम, आईबी, एस0एस0बी0 के अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहें।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनाँक- 23.05.2025

परिक्षेत्रीय कार्यालय जनपद बस्ती।

◆मण्डलायुक्त व डीआईजी बस्ती द्वारा नेपाल बार्डर बढनी व खुनुवा का किया गया भ्रमण।

◆बढनी एसएसबी कैंप में अधिकारियों के साथ की गयी गोष्ठी।

◆ संबंधित को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश।

आज दिनांक 23.05.2025 को श्री अखिलेश कुमार सिंह मण्डलायुक्त बस्ती व श्री दिनेश कुमार पी. पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती द्वारा डॉ0 राजा गणपति आर0 जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर, डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर, कमाण्डेंट एसएसबी श्री उज्जवल दत्ता,आईबी, कस्टम व पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ एसएसबी कैम्प बढ़नी में भारत - नेपाल सीमा पर अवैध अतिक्रमण, मानव तस्करी, संदिग्ध व्यक्तियों, नशीली दवाओं/अवैध शराब आदि की तस्करी व सीमा पर संदिग्ध गतिविधियों की रोकथाम हेतु गोष्ठी किया गया तथा बढनी व खुनवा अंतर्राष्ट्रीय बार्डर का भ्रमण किया गया।

इस दौरान प्रशांत कुमार अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर, मयंक द्विवेदी क्षेत्राधिकारी सदर, सुजीत राय क्षेत्राधिकारी शोहतरतगढ, निरीक्षक अभिसूचना इकाई ,प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, कस्टम, आईबी, एस0एस0बी0 के अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहें।

सिद्धार्थनगर पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 23.05.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆गोरखपुर जोन की 73 वीं अन्तर जनपदीय हाँकी (महिला/पुरुष) प्रतियोगिता-2025 प्रतियोगिता का आज समापन हुआ।

◆अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा प्रतियोगिता में विजयी टीम को पुरस्कृत किया गया व प्रतियोगिता के फाइनल में खेलने वाली टीमों के खिलाड़ियों को प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया|

आज दिनांक 23.05.2025 को गोरखपुर जोन गोरखपुर की 73वीं अंतर्जनपदीय पुलिस हॉकी महिला /पुरुष प्रतियोगिता 2025 का समापन प्रशान्त कुमार प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा किया गया तथा विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया समापन से पूर्व निम्नलिखित प्रतियोगिताएं हुई-
महिला वर्ग का फाइनल मैच जनपद देवरिया व जनपद बस्ती के मध्य खेला गया जिसमें जनपद देवरिया ने पेनाल्टी शूटआउट में जनपद बस्ती को 2-1 से हराकर खिताब पर कब्जा किया।
पुरुष वर्ग का फाइनल मैच जनपद सिद्धार्थनगर व जनपद बस्ती के मध्य खेला गया जिसमें जनपद सिद्धार्थनगर ने जनपद बस्ती को 2-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। जनपद सिद्धार्थनगर से मुख्य आरक्षी महेंद्र नाथ शर्मा व आरक्षी संदीप सिंह ने 1-1 गोल किया। पूरे प्रतियोगिता का विवरण इस प्रकार रहा पुरुष वर्ग में जनपद सिद्धार्थनगर विजेता व जनपद बस्ती उप-विजेता रही तथा महिला वर्ग में जनपद देवरिया विजेता व जनपद बस्ती उप विजेता रही। पूरे प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला वर्ग महिला आरक्षी कविता चतुर्वेदी जनपद देवरिया व पुरुष वर्ग में जनपद सिद्धार्थनगर से आरक्षी पवन सिंह सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे। तथा सिद्धार्थनगर से ही मुख्य आरक्षी महेंद्रनाथ शर्मा उत्कृष्ट खिलाड़ी तथा जनपद बस्ती से मुख्य आरक्षी साजिद खान उत्कृष्ट खिलाड़ी रहे। पूरे प्रतियोगिता के दौरान क्षेत्राधिकारी लाइन श्री अरुण कांत सिंह बी गुप्ता निरीक्षक सूरज नाथ सिंह पीटीआई रामकरन आरक्षी चंद्रिका श्रीवास्तव व अन्य मौजूद रहे।

प्रेस नोट दिनांक 23.05.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆जनपदीय पुलिस द्वारा आगामी त्यौहार तथा जनपद में कानून एवं शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने-अपने सर्किल/ थाना क्षेत्रो में चेकिंग/पैदल गश्त कर आम जनमानस में सुरक्षा का एहसास कराया गया।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में आज दिनांक 23.05.2025 को समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष द्वारा आगामी त्यौहार तथा जनपद में कानून एवं शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु रूट मार्च व चेकिंग किया गया तथा अपने-अपने सर्किल/ थाना क्षेत्रो में पड़ने वाले चिन्हित हॉट स्पॉट व उसके आस-पास के क्षेत्रों में पड़ने वाले भीड़-भाड़ वाले स्थानों के आस पास के क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहनों की गहनता से चेकिंग/पैदल गश्त तथा आमजनमानस में सुरक्षा का एहसास कराते हुये जनसंवाद स्थापित किया गया व आपस में सौहार्द बनाये रखने हेतु अपील की गयी।

प्रेस नोट दिनांक 23.05.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆ "आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना ढेबरूआ पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म के आरोपी को शेष प्राकृतिक जीवन के आजीवन कारावास से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में आज दिनांक 23.05.2025 को वाद सं0 550/2022 मु0अ0सं0 161/2022 धारा 376 भादवि व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट थाना ढेबरूआ मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री मनोज कुमार तिवारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पे0 एससी/एसटी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त बब्लू उर्फ नक्कटे उर्फ मसवा यादव पुत्र स्व0 राममिलन निवासी घोरही उर्फ रोइनिहवा थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर को धारा 376(E)भादवि मे शेष प्राकृतिक जीवन के आजीवन कारावास से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता बेचन राम लोधिया तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी इमामुद्दीन थाना ढेबरूआ का सराहनीय योगदान रहा।